राजस्थान सरकार (प्रपत्र – 8)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़–शेखावाटी (सीकर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प पालास

–: आदेश :–

प्रार्थी के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पालास व भू.अ.नि. रामगढ़ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार **रामगढ़–शेखावाटी** की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत में ग्राम पालास तहसील **रामगढ़–शेखावाटी** व जिला **सीकर** की जमाबन्दी 2074-77 में खाता संख्या 78 नया 80 पुराना में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को लिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
पालास रहन व अन्य प्रविष्टि यथावत	78 नया 80 पुराना	जीवली पत्नी बालूराम	जीवली उर्फ जीरू पत्नी बालाराम दुरुस्त

( )

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत (सीकर)
उपखण्ड अधिकारी रामगढ़–शेखावाटी (सीकर)
ग्राम पंचायत.....

क्र.– 1030
दि.– 14.5.18

तहसीलदार **रामगढ़–शेखावाटी** को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

प्रार्थी श्री जीवली उर्फ जीरू पत्नी बालाराम जाति जाट सा. बावला को सूचनार्थ सहित पत्रावली।

( )

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत (सीकर)
उपखण्ड अधिकारी रामगढ़–शेखावाटी (सीकर)
ग्राम पंचायत.....

14/5